भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2299
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"चार्जिंग स्टेशन"

2299. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश में 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीज़) को अपनाने के कारण चार लाख चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ईवीज के लिए इसे सुकर बनाने और अन्य सहायक अवसंरचना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईवी निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय हैं, और विशेष रूप से लिथियम और कोबाल्ट निकालने और लिथियम बैटरी के पुनर्चक्रण के संबंध में क्या उपाय किये गए हैं/कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): जी नहीं, इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख): फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। मंत्रालय ने 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए हैं। साथ ही, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों के लिए भी 1576 चार्जिंग स्टेशनों की संस्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने के लिए 520 चार्जिंग स्टेशनों की भी संस्वीकृति दी थी।

(ग)**:** इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन स्कीमें तैयार की हैं:

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम-इंडिया):** सरकार ने फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से प्रारंभिक तौर पर 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया है।

ii. **ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम**: सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित की। इस पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में देश में 30 गीगावाट घंटे के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, 5 गीगावाट उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम किसी प्रौद्योगिकी विशेष पर निर्भर नहीं है और वर्तमान में इसके रसायन लिथियम-सेल पर आधारित हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार**,** भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों सहित अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए 24 अगस्त**,** 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली**,** 2022 को प्रकाशित किया है।

नियमावली में, बैटरी उत्पादकों के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपशिष्ट बैटरियों के पुनर्चक्रण/नवीकरण हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा**,** इस नियमावली में पुनर्चक्रकों के लिए अपशिष्ट बैटरियों से सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत पुनः प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया है।

****